राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एनवीबीडीसी/2019/579 दिनांकः 2|9|19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषयः— मौसमी बीमारियो की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु एन्टीलार्वल एव घर–घर सर्वे कार्य प्रारम्भ करने के कम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाईफस, स्वाईन फ्लू, जल जनित बीमारियों व अन्य के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तुरन्त प्रभाव से निम्न गतिविधियाँ सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें:—

1. घर–घर सर्वे व एन्टीलार्वल गतिविधियाँ:—घर–घर सर्वे कार्य हेतु सर्वे दल का गठन करते हुये प्रतिदिन घर–घर सर्वे करते हुये बुखार व अन्य रोगियों को चिन्हित करते हुये उपचार करना सुनिश्चित करें। साथ ही एएनएम, आशा, नर्सिंग विद्यार्थियों, स्वंयसेवक, स्काउट गाईड व अन्य के माध्यम से एन्टीलार्वल गतिविधियाँ करवाई जावें तथा किये गये कार्य की रिपोर्टिंग प्रतिदिन सांय 05.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में ई–मेल आईडी **nvbdcprajasthan@gmail.com** भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।
2. फोगिंग—स्थानीय निकायों (नगर पालिका, नगर निगम, पचायत समिति, ग्राम पंचायत) से समन्वय स्थापित करते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में फोगिंग कराना सुनिश्चित करे।
3. दवाईयों की उपलब्धता—सभी चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक दवाईयों (पैरासीटमोल, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाईसिन, डोक्सीसाईक्लिन, एसीटी किट, टेमिफ्लू, क्लोरीन की गोलिया ओआरएस, आईवी फ्लुड व अन्य आवश्यक दवाईयों आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
4. आईईसी गतिविधियाँ— मौसमी बीमारियो के नियंत्रण/रोकथाम व बचाव हेतु समस्त प्रमुख स्थानो पर माईकिंग, बैनर, होर्डिग, फलैक्स व अन्य माध्यम से तथा चिकित्सा सस्थाओं पर एलईडी टीवी, आईसी कॉनर, माईकिंग, पोस्टर, पेम्पलेटस, डिस्पले स्क्रोलर आदि के माध्यम से आईईसी गतिविधियों कर आमजन को जागरूक कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. लार्वा प्रदर्शन— प्रत्येक चिकित्सा सस्थान व विद्यालयों में जाने वाले स्वास्थ्य दलो द्वारा लार्वा प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों एवं नागरिकों को मौसमी बीमारियो के प्रति जागरूक किया जाये।
6. ड्राई डे—जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक रविवार को सूखा दिवस मनाये जाने हेतु आमजन को जागरूक करे।
7. हाई रिस्क ग्रुप को संवेदनशील बनाना—गर्भवती महिला, छोटे बच्चे, अस्थमा, टी.बी शुगर, कैन्सर व अन्य गंभीर रोगो से ग्रसित रोगियों को ओपीडी मे, एमसीएचएन दिवस, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस, एनसीडी क्लीनिक, टी.बी क्लीनिक, कैन्सर क्लीनिक, हिमोडायलसिस केन्द्र व अन्य तथा घर–घर सर्वे इत्यादि के माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप को मौसमी बीमारियो विशेष तौर पर स्वाईन फ्लू के लक्षणो व उपचार की जानकारी प्रदान करे साथ ही जिले मे पद स्थापित नोडल अधिकारी (एनसीडी, टी.बी., कैन्सर, आशा) शिशु रोग विशेषज्ञ, आरसीएचओ व आरबीएसके टीम के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करते हुए उनके माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप को सतत् निगरानी में रखा जाये।
8. स्वास्थ्य शिक्षा—स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, मॉल, कार्यालय व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मौसमी बिमारियो से संबंधित जानकारी आमजन को प्रदान करायें।
9. कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन—जिले में 24 X 7 के लिये कन्ट्रोल रूम की स्थापना करे तथा सभी को कन्ट्रोल रूम के नम्बर उपलब्ध करवायें एवं जिला, खण्ड व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक रेपिड रेस्पोन्स टीम (आरआरटी टीम) का गठन करे तथा उनके नाम, पता, मोबाईल नम्बर जिला स्तर पर उपलब्ध करायें। आरआरटी टीम हेतु आवश्यक दवाईयाँ, उपकरण व वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
10. आईडीएसपी सैल का सुदृढ़ीकरण—जिले में कार्यरत आईडीएसपी सेल क्रियाशील बनाते हुए नियमित रूप से खण्ड स्तर से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए प्राप्त सूचनाओं को समय पर निदेशालय को अग्रेषित करना।

11. पल्स ओक्सीमीटर एवं क्लोरोस्कोप– स्वाईन फ्लू के सभावित रोगी की पहचान करने हेतु पल्स ओक्सीमीटर उपयोगी है। अतः सभी चिकित्सा संस्थानो पर पल्स ओक्सीमीटर की सुनिश्चितता करे एवं पानी के नमूनों की जांच हेतु सभी चिकित्सा सस्थानों पर क्लोरोस्कोप की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
12. आरबीएसके टीम–राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम से सबंधित सदस्य उनके कार्य क्षेत्र मे आने वाले स्कुलो व आगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेगें साथ ही जोखिम वाले व्यक्तियो को बिमारियों से बचाव के लिए सवेदनशील करेगें।
13. सर्विलेंस–जिले में कार्यरत्त एण्टोमोलोजिस्ट, वीबीडी कन्सलटेन्ट, एपीडेमियोलोजिस्ट व अन्य के द्वारा हाई रिस्क क्षेत्र में वैक्टर/एण्टोमोलोजिकल/सीरो सर्विलेंस से प्राप्त सूचनाओ का विश्लेषण करते हुए इसके अनुरूप गतिविधियां संपादित करावे।
14. अन्तर्विभागिय समन्वय–मौसमी बिमारियों के बचाव व रोकथाम हेतु अन्तर्विभागिय समन्यव स्थापित करते हुए अन्य विभागों से लिए जाने वाले आवश्यक सहयोग हेतु बैठक का आयोजन करते हुए उन्हें, उनके उत्तरदायित्यों से अवगत करायें।
15. जनसहयोग–मौसमी बीमारियों की रोकथाम/नियंत्रण व बचाव मे स्थानीय स्वय सेवक, एनजीओ, एनसीसी, स्काउट गाइड, निजी चिकित्सालयों व अन्य का भी इस कार्य में सहयोग लिया जाये।
16. निजी चिकित्सक–जिले में कार्यरत निजि चिकित्सालयों/चिकित्सको को मौसमी बीमारियों से संबंधित दिशा–निर्देश, नियम (नोटिफाईबल अधिनियम) इत्यादि की जानकारी प्रदान करते हुए पालना कराना सुनिश्चित करावें। साथ ही उनकी सस्था से भी रोगियों की सूचना नियमित रूप से प्राप्त करते हुए तुरन्त गतिविधियां कराना सुनिश्चित करें।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एनवीबीडीसी/2019/579 दिनाकः 2/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, समस्त।
4. निजी सचिव, निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
5. राज्य नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8 समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल व विभागिय साईट पर अपलोड करने वास्ते ।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर